न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :–स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–184 / 2023

1. सुरजाराम पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादी

बनाम

1. दुलीचंद पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुड्डी देवी पत्नी रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कालूराम पुत्र रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. सुभाष पुत्र रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. शारदा पुत्री रेवन्ताराम पत्नी दलीप जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कोल्हासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. माया पुत्री रेवन्ताराम पत्नी अमरसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कोल्हासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. शिमला पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. अनिल पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. सरोज पुत्री श्रीराम पत्नी राजेन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. अन्जू पुत्री श्रीराम पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. नंदराम पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. श्रवण कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. भादरराम पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
14. सिंगारी पुत्री कुरड़ाराम पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. रामप्यारी पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
16. कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
17. गोपाल पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:23:35 IST
Reason: SelfAttested

18. राजेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

19. कलावती पुत्री बृजलाल पत्नी चुन्नीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गौरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरि0।

20. पुष्पा पुत्री बृजलाल पत्नी हरीकिशन जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी करणीखेड़ा पंजाब।

21. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता — वादी
2. श्री करनैलसिह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :— 06.03.2024

वादी सुरजाराम ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि वादी एंवम् प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के दादा, प्रतिवादी संख्या 7 के ससुर, प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के दादा, प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के पिता कुरड़ाराम, प्रतिवादी संख्या 15 रामप्यारी के पति, प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 के पिता बृजलाल के नाम से संयुक्त खाता में चक नम्बर 10 ए. जी. के खाता संख्या 102/102 में कुल 1.266 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी के अलावा अन्य चकों में भी आराजी स्थित है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसका वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में अर्सा क़दीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 ने अन्य चकों में अपने हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त कर ली है व वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में कर दिया था जिस कारण से प्रतिवादीगण का वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है तथा वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज समस्त आराजी वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादी नें प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वह इस आराजी में वादी का हक मानकर उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करवा देवे मगर वह टालमटोल करते रहे व अन्त में वादी का निवेदन मानने से कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

(क) घोषित किया जावे कि चक 10 एजी के खाता संख्या 102/102 में कुल 1.266 हैक्टेयर आराजी का वादी तन्हा व अकेला खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 10 ए.जी. के खाता संख्या 102/102 में से कुरड़ाराम, दुलीचन्द, बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
(ग) अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो अता फरमावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।वादी एंवम् प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के दादा, प्रतिवादी संख्या 7 के ससुर, प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 के दादा, प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 के पिता कुरड़ाराम, प्रतिवादी संख्या 15 रामप्यारी के पति, प्रतिवादी संख्या 16 ता 20 के पिता बृजलाल के नाम से संयुक्त खाता में चक 10 एजी के खाता संख्या 102/102 में कुल 1.266 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है एवं उपरोक्त समस्त कृषि भूमि का घरू विभाजन हो चुका है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 ने अपने अपने हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहते है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी घरू बटवारां में वादी को प्राप्त हुई है तथा वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हम पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियाँ पेश की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये तथा राजपैरोकार की ओर से अपना जबाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है एवं उपरोक्त समस्त कृषि भूमि का घरू विभाजन हो चुका है। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसका आपस में बंटवारा किया हुआ है व वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा मुताबिक जबाबदावा सहमति वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेज़ों जमाबन्दी, जबाबदावा मय राजीनामा,शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।बाद अवलोकन पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक जवाबदावा मय राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादी एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक 10 ए.जी. के खाता संख्या 102/102 में कुल 1.266 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 10 ए.जी. के खाता संख्या 102/102 में से कुरड़ाराम, दुलीचन्द, बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंक़न किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 06.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– /

1. सुरजाराम पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादी

बनाम

1. दुलीचंद पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुड्डी देवी पत्नी रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कालूराम पुत्र रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. सुभाष पुत्र रेवन्ताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. शारदा पुत्री रेवन्ताराम पत्नी दलीप ज़ाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कोल्हासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. मांया पुत्री रेवन्ताराम पत्नी अमरसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कोल्हासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. शिमला पत्नी श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. अनिल पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. सरोज पुत्री श्रीराम पत्नी राजेन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. अन्जू पुत्री श्रीराम पत्नी पवन कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. नंदराम पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. श्रवण कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. भादरराम पुत्र कुरड़ाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
14. सिंगारी पुत्री कुरड़ाराम पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोहनमगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. रामप्यारी पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
16. कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested

17. गोपाल पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

18. राजेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

19. कलावती पुत्री बृजलाल पत्नी चुन्नीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गौरीवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरि०।

20. पुष्पा पुत्री बृजलाल पत्नी हरीकिशन जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी करणीखेड़ा पंजाब।

21. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

---प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :--06.03.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.3.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्धान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक 10 ए.जी. के खाता संख्या 102/102 में कुल 1.266 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 10 ए.जी. के खाता संख्या 102/102 में से कुरड़ाराम, दुलीचन्द, बृजलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगांन कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 06.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:13:35 IST
Reason: SelfAttested